अतारांकित प्रश्न संख्या : 240
दिनांक : 09.08.2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री .सोमनाथ भारती
विभाग का नाम : महिला एवं बाल विकास विभाग
विभाग का पता : 1ए, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के .जी .मार्ग, नई दिल्ली -110001
क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

प्र सं	प्रश्न	उत्तर
(क)	मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में विधवा पेंशन भोगियों तथा बेटी के विवाह के लिए एकमुश्त सहायता प्राप्त करने वाली विधवाओं के पेंशन प्रारंभ होने की तिथि, नाम, पते, मोबाइल नंबर (यदि हो), वर्तमान स्थिति पेंशन/एकमुश्त सहायता की राशि, यदि पेंशन की राशि कम है या बंद कर दी गई है तो उसके कारणों सहित उपलब्ध कराएँ;	सभी नियमित विधवा पेंशन लाभार्थियों का डाटा जून 2018 तक महिला और बाल विकास विभाग की वेबसाइट (http://wcddel.in/index.html) पर उपलब्ध है। सभी विधवा पेंशन लाभार्थियों को प्रति माह @2500/- रुपये के हिसाब से पेंशन दी जाती है तथा विधवा की पुत्री के विवाह हेतु 30000/- रुपये केवल दो पुत्रियों के विवाह की सहायता के लिए दिए जाते है। विधवाओं की पुत्री के विवाह की सहायता से संबधित जानकारी की सूची सलंग्न है।
(ख)	विधवा पेंशन/बेटी के विवाह के लिए एकमुश्त सहायता राशि के आवेदन के लिए विभाग की मानक प्रक्रिया की चरणबद्ध जानकारी और प्रत्येक चरन के लिए नियत समयावधि, सम्बंधित अधिकारी का पदनाम व संपर्क-ब्यौरे का विवरण उपलब्ध कराएं;	जिला कार्यालय (दक्षिण), महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार, कस्तूरबा निकेतन परिसर, लाजपत नगर 2, नियर जल विहार टर्मिनल दिल्ली-24, फ़ोन नंबर- 011 - 29819812 । **प्रक्रिया के चरण-** 1. आवेदन प्राप्ति 2. सत्यापन 3. आवेदन स्वीकृति 4. मुख्यालय द्वारा PFMS Portal और NPCI द्वारा आधार लिंक खाते में धनराशि का प्रेषण **प्रक्रिया का समय-** • विधवा पेंशन - 45 दिन • विधवा की पुत्री के विवाह की सहायता के लिए - 60 दिन
(ग)	क्या यह सत्य है की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नीति की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत विभाग का कोई अधिकारी क्षेत्रीय विधायक के कार्यालय में पेंशन/एकमुश्त सहायता राशि संबंधी उक्त कठिनाइयों के निवारण के लिए सप्ताह में एक बार जायगा;	महिला एवं बाल विकास विभाग को ऐसा कोई उल्लेखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु जिला स्तर पर समय समय पर विधायकों के कार्यालय में संपर्क किया जाता है।
(घ	यदि हाँ, तो क्या यह नीति अभी भी लागू है ;	
(ङ.)	इस योजना से कितने विधायक लाभ उठा रहे है;	इस योजना से सभी विधायक लाभ उठा रहे है।
(च)	क्या यह सत्य है की एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा होने के बाद, चाहे वह आवेदक आवेदन जमा करने की तिथि से ही योजना से प्राप्त होने वाले लाभों का पात्र हो जाता है;	सभी आवेदन केवल उचित दस्तावेज़ीकरण के साथ स्वीकार किए जाते हैं। अधिसूचना के अनुसार 45 दिनों के उपरांत आवेदकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

Shudi

(छ)	कोई संपन्न व्यक्ति इस पेंशन योजना का अनुचित लाभ न उठा सके इसके लिए विभाग की ओर से क्या सावधानियां बरती जाती है;	आवेदन जमा करने वक़्त आवेदक से एक शपथ पत्र लिया जाता है की उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है एवं उनकी सालाना आय एक लाख से कम है। सामाजिक जांच रिपोर्ट द्वारा संदिग्ध मामलों की पुष्टि की जाती है।
(ज)	ऐसे कितने लोगों को चिन्हित किया गया है और क्या ऐसे लोगों द्वारा अनुचित तरीके से ली गयी धनराशि की वापसी के लिए कोई कदम उठाये गए है;	अनुचित तरीके से पेंशन लेने वाले आवेदक की पेंशनबंद कर दी जाती है तथा वसूली की जाती है। अप्रैल से जुलाई तक सभी जिलों में 55 आवेदकों से वसूली कर ली गई है।
(झ)	यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति, जिसकी एकाधिक पत्नियाँ है, की मृत्यु हो जाती है तो उसकी किस पत्नी को विधवा पेंशन मिलेगी, और यदि उसकी सभी पत्नियां विधवा पेंशन के पात्र है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी क्यूंकि सामान्यतः मृत्यु प्रमाण पत्र में केवल एक पत्नी का नाम ही लिखा जाता है;	प्रत्येक विधवा महिला आवेदन कर सकती है।
(ञ)	सरकार ऐसे दलित और उपेक्षित व्यक्तियों की सहायता के लिए किन उपायों पर विचार कर रही है जो अत्यंत निर्धन और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है और जो अपेक्षित समयाविधि 5 वर्ष से भी अधिक समय से दिल्ली में रह रहे है परन्तु उनके पास विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन व अन्य सुविधाओं के लिए अपने दावे की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं है; और	विधवा पेंशन के अधिसूचना के अनुसार निम्न दस्तावेज लाभार्थी को कार्यालय में विधिवत भरा आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रलेखों सहित प्रस्तुत कर सकते है : • राशन कार्ड, • वोटर कार्ड • पासपोर्ट • ड्राइविंग लाइसेंस • दिल्ली नगर निगम/ पंजीयक- जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र • दिल्ली नगर निगम/ पंजीयक- जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र • बिमा पालिसी कागजात • परिवार के किसी सदस्य का टिकाकारण कार्ड • दिल्ली में उपचार का चिकित्सीय अभिलेख • बिजली का बिल • पानी का बिल • टेलीफोन का बिल • गैस कनेक्शन की रसीद • बैंक की पासबुक • दिल्ली में जाति प्रमाण पत्र • विद्यार्थी पहचान पत्र • सार्वजनिक/प्राइवेट सेक्टर कंपनी/स्थापित संस्थान का सेवा पहचान कार्ड • संपत्ति दस्तावेज • कोई अन्य प्रलेख जो दिल्ली में कम से कम 5 वर्ष निवास दर्शाता हो।
(ट)	यदि किसी विधवा की आयु 60 वर्ष से अधिक है या पेंशन प्राप्त करते हुए वह 60 वर्ष की आयु को पार कर लेती है तो क्या वह विधवा पेंशन ही प्राप्त करती रहेगी या उसे वृधावस्था पेंशन की अधिकारी हो जायगी अथवा उसे स्वयंमेव वृधावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जायगा, क्योंकि वृधावस्था पेंशन राशि 500 रुपये है जो विधवा पेंशन से अधिक है?	जी हाँ, विधवा पेंशन ही प्राप्त करती रहेगी जिसकी राशि 2500/- रुपये प्रति माह है।

Shaili

	List of Financial Assistance to Poor Widows for performing the marriage of their daughters and Orphan Girls cases			
Sl No.	NAME IN ENGLISH	HUSBAND's NAME	CATEGORY	DAUGHTER NAME
1	RABIYA BEGUM	AMINDDDIN KHAN	GENERAL	WAZIA WAZMEEN
2	KAMLESH	GIYAN CHAND	SC	JYOTI
3	SAGIRAN KHATOON	RASID KHAN	GEN	ZAHEEDA PARVEEN
4	NEELAM	TEJ SINGH	GENERAL	JYOTI
5	HUSAN BANO	NURAL HUSAN	GENERAL	SABEENA KHATOON
6	NAZRA BEGUM	GULAM GAS	GEN	HUMA
7	SHAYDA BEGUM	MAKBOOL AHMAD	GEN	TARANNUM PARVEEN
8	RAJ BALA	DHANPAL	GEN	PREETI
9	SURESH	HARI CHAND	GEN	DEEPALI
10	GYAN WATI	SUKHBIR SINGH	GEN	LALITA
11	RUKSANA	U ZAKIR	GEN	NAZMEEN
12	RAJ	VEERPAL	GEN	KOMAL